उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021)

THE UTTAR PRADESH STATE SPORTS UNIVERSITY ACT, 2021

(U.P. Act No. 8 of 2021)

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021)

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 2021

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2024

द्वारा संशोधित

जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जिससे खेल अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 01 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 05 मार्च, 2021 को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित हुआ।

राज्य में एक सम्बद्धताकारी तथा अध्यापन क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 कहा जाएगा ;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा ;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) 'विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद से है ;

(ख) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 से है ;

(ग) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था से है ;

(घ) 'सहयुक्त क्रियाकलाप वाले विद्यालय/महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत ऐसी किसी संस्था से है जिसमें उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विभाग की अवसंरचना और अपेक्षित पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक सत्रों को पूरा करने के उद्देश्य से संबद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की वाह्यतम सीमा से पन्द्रह किलो मीटर के अर्द्धव्यास के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों के लिए कम से कम तीन अंतरंग तथा दो वाह्य क्रीड़ा सुविधाओं वाले क्रीड़ा महाविद्यालय/छात्रावास सम्मिलित हैं ;

(ङ) 'बोर्ड' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के शासक बोर्ड से है ;

(च) 'महाविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन कोई उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र आदि वाले पाठ्यक्रमों में से किसी पाठ्यक्रम का अध्यापन करने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था से है ;

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(छ) 'संकायाध्यक्ष' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से है ;

(ज) 'निदेशकों' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के निदेशकों से है ;

(झ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसमें विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक या उसके कर्मचारिवर्ग का कोई अन्य सदस्य सम्मिलित है ;

(ञ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के संकाय से है ;

(ट) 'वित्त समिति' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है ;

(ठ) 'छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रावास से है ;

(ड) 'राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा कृत प्रमाणन से है ;

(ढ) 'कुल सचिव' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है ;

(ण) 'विनियमावली' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की विनियमावली से है ;

(त) 'विनियामक निकाय' का तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में स्थापित किये गये ऐसे सांविधिक निकायों से है जिनमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, भारतीय परिचर्या परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद तथा भारतीय भेषजी परिषद आदि सम्मिलित हैं ;

(थ) 'परिनियमावली तथा अध्यादेश' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त परिनियमावली तथा अध्यादेशों से है ;

(द) 'छात्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सहबद्ध या सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के रजिस्टर में नामांकित किसी छात्र से है ;

(ध) 'विश्वविद्यालय का अध्यापक' का तात्पर्य आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, कोचों और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्था तथा अध्ययन केन्द्रों में अनुदेश, कोचिंग, प्रशिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान संचालित करने हेतु नियुक्त अन्य व्यक्तियों से है ;

(न) 'कुलपति' का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है ;

(प) 'विश्वविद्यालय' अनुदान आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है ;

(फ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य सलाह देने, परामर्श करने, कोचिंग देने, प्रशिक्षण देने के प्रयोजनार्थ या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी केन्द्र से है ;

(ब) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित विश्वविद्यालय से है।

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन

3—(1) [1][मेजर ध्यानचन्द क्रीड़ा विश्वविद्यालय] नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ;

(2) कुलपति, बोर्ड, विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद, निदेशकगण, संकायाध्यक्षगण, कुलसचिव और ऐसे अन्य समस्त व्यक्तियों, जो एतद्पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक वे ऐसा पद या ऐसी सदस्यता धारित किये रहते हैं, से 'उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय' नामक विश्वविद्यालय गठित होगा ;

(3) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन सम्पत्ति अर्जित करने, प्रतिधारित करने एवं संविदा करने हेतु शास्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर होगी और वह उक्त नाम से वाद करेगा या उस पर वाद किया जायेगा ;

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचनों पर हस्ताक्षर तथा उनका सत्यापन, कुल सचिव द्वारा किया जायेगा और ऐसी कार्यवाहियों में समस्त प्रक्रियाएं कुल सचिव के लिए जारी की जायेंगी और उस पर तामील की जायेंगी ;

(5) विश्वविद्यालय, अध्यापन एवं सम्बद्धताकारी विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और वह उसमें प्रवेश दिये गए छात्रों को कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त किये जाने या प्रमाण—पत्र प्रदान किये जाने के निमित्त छात्रों के अध्यापन या कोचिंग के लिए किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्ध करेगा। स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य भी उपक्रमित किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय का मुख्यालय

4—विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेरठ में होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

5—विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(एक) शारीरिक अभिरूचि वाले तरूण व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक तथा व्यावसायिक विकास वृत्ति सम्बन्धी मार्ग का उपबन्ध करना, जो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुँच कर भारत के लिए पदक जीतने हेतु क्रीड़ाओं को व्यवसाय के रूप में ग्रहण करने और अपने सम्पूर्ण वृत्ति को ओलम्पिक मान्यताप्राप्त क्रीड़ाओं के प्रति समर्पित करने तथा कोच, प्रबन्धक या क्रीड़ावृत्तिक होकर उक्त व्यवसाय में निरंतर बने रहने के इच्छुक हो ;

(दो) क्रीड़ा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से अभिकल्पिक क्रीड़ा कौशल विकास तथा शैक्षणिक सूचनाओं का उपबन्ध करके राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निरंतर प्रदर्शन में अभिवृद्धि की अवधारणा को ग्रहण करते हुए खिलाड़ियों के भौतिक एवं कौशलपूर्ण मानकों को विकसित करना, और खिलाड़ियों तथा कोचों में क्रीड़ाओं हेतु विकसित क्रीड़ा प्रोद्योगिकियाँ भी समाविष्ट करना ;

(तीन) खिलाड़ियों को क्रीड़ाओं में उनकी वृत्ति के साथ ही स्नातक उपाधि अर्जित करने हेतु सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती तथा बाक्सिंग, वालीबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, हैण्डबाल पर केन्द्रित करते हुए ओलम्पिक मान्यताप्राप्त टीम/वैयक्तिक क्रीड़ाओं में से किसी एक क्रीड़ा में विशेषज्ञता सहित क्रीड़ा स्नातक

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 2021 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

पाठ्यक्रम (तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) संचालित करेगा, जहाँ स्नातक उपाधि का मूल्यांकन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय खेलों, राष्ट्रीय खेलों और अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं पर आधारित होगा ;

(चार) क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कला और एथलेटिक्स, वालीबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, हैण्डबाल, हॉकी, कुश्ती तथा बाक्सिंग पर विशेष रूप से केन्द्रित करते हुए ओलम्पिक क्रीड़ाओं हेतु उच्च प्रदर्शन युक्त क्रीड़ा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट क्रीड़ा अनुशासन पर केन्द्रित करते हुए विशिष्टि केन्द्र तथा उत्कृष्ट संस्थाएं स्थापित करना ;

(पाँच) विकसित शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा कोचिंग के ज्ञान का उपबन्ध करना, शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से अभिकल्पित शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे विकसित क्रीड़ा प्रौद्योगिकियों का उपबन्ध करना जिसमें विशेषज्ञता उत्पन्न करने तथा शारीरिक शिक्षा को सशक्त करने हेतु सैद्धान्तिक सूचना तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण और क्रीड़ा प्रदर्शनों के संवर्द्धन हेतु क्रीड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं ;

(छः) शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कला का स्वरूप प्रदान करने और देशज खेलों तथा मार्शल आर्ट सहित समस्त क्रीड़ाओं और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केन्द्रों और संस्थाओं की स्थापना करना ;

(सात) शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा आयुर्विज्ञान, जैव यांत्रिकी, क्रीड़ा पोषण, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा संचार तथा पत्रकारिता, दिव्यांगता क्रीड़ाओं, योग, व्यायाम एवं स्वस्थता, चिकित्सा, पर्यटन, साहसिक क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, क्रीड़ा प्रबन्धन, क्रीड़ा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का विकास करने और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये अन्तर्अनुशासनात्मक सामर्थ्य जनित करना ;

(आठ) शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचना का उपबन्ध करने की क्षमताएं जनित करना ;

(नौ) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रबन्धन हेतु क्रीड़ाओं से सम्बन्धित विशेषज्ञ क्षेत्रों (परार्मशकरण, परीक्षण, आंकड़ा विश्लेषण, स्वस्थता तथा कुशलता, क्रीड़ा चोट प्रबन्धन, आधारभूत वास्तविकता/कृतिम बुद्धिलब्धि अनुप्रयोग, जीवन रक्षा आदि) में अत्यंत अर्ह वृत्तिकों को तैयार करना ;

(दस) समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के संभ्रान्त खिलाड़ियों, कोचों तथा एथलीट्स के लिए और शारीरिक शिक्षा में अभिनवीकरण के लिए तथा राज्य में क्रीड़ा संस्कृति विकसित करने हेतु अनुसंधान तथा परीक्षण के सिद्धान्त तैयार करने, उसे पृष्ठांकित करने तथा उसका प्रचार करने के लिये उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में कार्य करना ;

(ग्यारह) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा इवेन्ट प्रबन्धन तथा क्रीड़ा जन संचार के क्षेत्र में ज्ञान और विकास के लिये और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के लिए अग्रणी संसाधन केन्द्र के रूप में कृत्य करना ;

(बारह) समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, जैव यांत्रिकी तथा पोषण और उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का उपबन्ध करना ;

(तेरह) समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा आयुर्विज्ञान तथा उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण में अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के प्रयोजनार्थ विद्यालय, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, क्रीड़ा एवं मनोरंजन क्लबों, समितियों, क्रीड़ा संघों और अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघों, अकादमियों तथा संस्थानों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना ;

(चौदह) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जिन्हें, राज्य सरकार इस निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन किये जाने पर गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(पन्द्रह) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा आयुर्विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में वृत्तिक मार्गदर्शन तथा प्लेसमेन्ट सेवाओं का उपबन्ध करना।

6–विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के रूप में ग्रहण किये जाने हेतु उसे हकदार करने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में किसी छात्र को प्रवेश दिये जाने या वहां पर स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग करने या उसका प्रयोग करने के उद्देश्य से किसी लिंग और किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या धर्म या वर्ग या जन्म स्थान,धार्मिक विश्वास या वृत्ति या राजनैतिक राय या अन्य राय के व्यक्तियों के लिए होगा :

परन्तु यह कि इस धारा में कोई भी बात, महिलाओं, दिव्यांगों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों और विशेषतरू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिको के अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं मानी जाएगी। विश्वविद्यालय समस्त जातियों, पंथों, मूलवंशों या वर्गों के लिए होगा।

7–इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) प्रशासकीय शक्तियाँ एवं कृत्य :–

(एक) विश्वविद्यालय तथा सम्बन्ध) महाविद्यालयों का प्रशासन और प्रबन्ध करना और अनुसंधान, शिक्षा तथा अनुदेशों के लिये ऐसी संस्थाओं तथा केन्द्रों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों ;

(दो) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाय, परीक्षाएं आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधियाँ, डिप्लोमा प्रदत्त करना और प्रमाण–पत्र एवं अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियाँ या अभिधान प्रदान करना, और किन्हीं ऐसी उपाधियों, प्रमाण–पत्रों या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों या अभिधानों को ऐसी रीति में वापस लेना या रद्द करना जैसा कि विहित किया जाय ;

(तीन) ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय, मानद उपाधियाँ और अन्य विशिष्टि उपाधियाँ प्रदान करना ;

(चार) अनुसंधान और विकास के लिये ऐसे विशिष्ट अध्ययन केन्द्र या अन्य इकाइयाँ स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों ;

(पाँच) विशिष्टीकृत एकल पाठ्यक्रम अभिकल्पित करने तथा प्रारम्भ करने के लिए एक समान या समकक्ष उद्देश्यों वाली किसी शैक्षिक संस्था के साथ सहयोग या सहयोजन करना ;

(छः) विश्व के किसी भाग में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के पूर्णतः या अंशतः समान उद्देश्यों वाली शैक्षिक या अन्य संस्थाओं से अध्यापकों, छात्रों एवं विद्वानों को, सामान्यतरू ऐसी रीति में, जो कि उनके समान उद्देश्यों के लिये अनुकूल हो, आदान–प्रदान के माध्यम से जुड़ाव विकसित करना और उन्हें अनुरक्षित रखना या विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और उसके कृत्य ;

(सात) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये विश्व के किसी भी भाग में अध्यापकों, कोचों, अनुसंधानकर्ताओं, विशेषज्ञों, क्रीड़ा संघों तथा परिसंघों से सम्बन्ध विकसित करना और उसे अनुरक्षित रखना ;

(आठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास के लिये छात्रावास और संकायों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये वास स्थान और क्रीड़ा अवसंरचना हालों की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध करना ;

(नौ) निवास स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्द्धन के लिये व्यवस्था करना ;

(दस) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, पुरस्कार, पदक और अन्य सम्मान संस्थित करना और प्रदान करना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालयों के प्रयोजनों हेतु आवश्यक या सुविधाजनक कार्यों हेतु किसी भूमि या भवन या क्रीड़ा काम्पलेक्स या क्रीड़ा अवसंरचना और वैज्ञानिक क्रीड़ा अनुसंधान उपकरणों या इण्डोर स्टेडियम को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर क्रय करना या उन्हें पट्टे पर लेना, जैसा वह उचित व ठीक समझे और ऐसे किन्हीं भवनों या कर्मशालाओं का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना या उनका अनुरक्षण करना ;

(बारह) विश्वविद्यालय की स्थावर या जंगम सम्पत्तियों को पूर्णतया या उसके किसी आंशिक भाग को राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी शर्तों पर विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निस्तारित करना, जैसा कि वह उचित समझे और जो विश्वविद्यालय के हितों, क्रियाकलापों तथा उद्देश्यों से संगत हो ;

(तेरह) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात जंगम या स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में, अंतरणों, बन्धकों, पट्टों, अनुज्ञप्तियों, अनुबन्धों से सम्बन्धित हस्तान्तरण पत्र तथा अन्य हस्तान्तरण पत्र निष्पादित करना जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ अर्जित की जाने वाली प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं ;

(चौदह) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर स्थायी पद या अस्थायी पद के आधार पर या संविदात्मक आधार पर नियुक्तियाँ करना ;

(पन्द्रह) विभिन्न क्रीड़ाओं और खेलों के लिये आचार्यपद, सहआचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद, विन्यासित आचार्य पद, मानद आचार्य पद, अनुवद्ध आचार्य पद, एमेरिट्स आचार्य पद संस्थित करना और क्रीड़ा विज्ञान के लिये कोई अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या अनुसंधान सम्बन्धी पदों को संस्थित करना और उनके लिये अर्हताएं विहित करना ;

(सोलह) विश्वविद्यालय में निदेशकों, संकायाध्यक्षों, आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्रधान कोचों, कोचों, प्रशिक्षकों, अनुवद्ध आचार्यों, या विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापकों और अनुसंधान कर्ताओं के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनयमित एवं प्रवर्तित करना और यथा विहित अनुशासनात्मक उपायों का उपबन्ध करना ;

(अठारह) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जैसा कि विश्वविद्यालय अपने समस्त या किसी उद्देश्य की प्राप्ति या उसके संवर्द्धन के लिये आवश्यक, अनुकूल या आनुषंगिक समझे ;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय/संस्था में किसी सम्बद्ध पाठ्यक्रम में किसी छात्र को प्रवेश दिये जाने हेतु किसी छात्र को किसी ओलम्पिक क्रीड़ा के अन्तर्गत किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में कम से कम कोई पदक/पुरस्कार जीतना आवश्यक है ;

(बीस) इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन विहित अर्हता के अनुसार किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त करना ;

(इक्कीस) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तिक संगठनों या संकायों के साथ सम्पर्क या सदस्यता स्थापित करना ;

(बाइस) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च ज्ञानार्जन वाली संस्था जिसमें देश से बाहर की संस्थाएं सम्मिलित हैं, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रायोजनों के लिए, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार करना, सहयोग करना या सहयुक्त होना ;

(तेइस) क्रीड़ाओं से सम्बन्धित समस्त मामलों में राज्य सरकार और राज्य/राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघों के लिए प्राविधिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करना ;

(चौबीस) परिनियमावली द्वारा निर्धारित किये जाने वाली शर्तों के अध्यधीन भारत में या उसके बाहर किसी महाविद्यालय या संस्था के लिए उसके विशेषाधिकारों को ग्रहण करना ;

(पच्चीस) किसी महाविद्यालय या संस्था में अनुदेश प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अनुसार प्रवेश दिये गये व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना ;

(ख) शैक्षणिक, पाठ्यचर्या तथा अनुसंधान सम्बन्धी शक्तियाँ एवं कृत्य ;—

(एक) एथलेटिक्स, वालीबाल, बास्केट बाल, फुटबाल, हैण्डबाल, हॉकी, कुश्ती तथा मुक्केबाजी पर केन्द्रित ओलम्पिक क्रीड़ाओं में से किसी एक क्रीड़ा में

विशेषज्ञता सहित क्रीड़ा स्नातक कार्यक्रम (त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) संचालित करना, जहां स्नातक उपाधि का मूल्यांकन, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने और पदक जीतने पर आधारित होगा ;

(दो) ऐसे खिलाड़ियों को प्रवेश देना, जो जिला स्तर पर अपनी क्रीड़ा प्रतिभा को सिद्ध किये हो और विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिये तैयार हों, और खिलाड़ियों को प्रारम्भिक स्तर (उदाहरणार्थ 12 वर्ष या अग्रतर आयु पर तैयार करना जिससे कि वे विश्वविद्यालय से अग्रवर्ती प्रक्रम में जुड़ा सकें ;

(तीन) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान तथा क्रीड़ा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित ज्ञान और विद्या की शाखाओं में अनुदेश, कोचिंग, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण का उपबंध करना;

(चार) समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये वैज्ञानिक क्रीड़ा प्रशिक्षण प्रणाली, और क्रीड़ा विज्ञान में ऐसी शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के मानक प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रीड़ा विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में नयी पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकियों में अभिनव प्रयोग संचालित करना ;

(पाँच) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विहित करना और मुक्त, इलेक्ट्रानिक तथा दूरस्थ शिक्षा सहित शिक्षा प्रणाली तथा सिद्धान्त परिदान में सुनम्यता का उपबंध करना ;

(छः) अनुसंधान तथा अन्य कार्यों के ई–प्रकाशन, मुद्रण, प्रत्युत्पादन तथा प्रकाशन का उपबंध करना और प्रदर्शनियां, कार्यशालायें, सेमिनार, संगोष्ठियों, सम्मेलन तथा प्रतियोगिताएँ उपबंधित करना ;

(सात) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी तथा सम्बंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण प्रायोजित करना तथा उपक्रमित करना ;

(आठ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रमों में विहित रीति से छात्रों को प्रवेश देना;

(नौ) क्रीड़ाओं तथा उनसे सम्बन्धित क्रियाकलापों के क्षेत्र में वृत्तिक मार्गदर्शन तथा प्लेसमेंट सेवाओं का उपबंध करना ;

(दस) वाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण तथा विस्तारीकरण सेवाएं आयोजित करना तथा उपक्रमित करना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय में प्रवेश के ऐसे मानक अवधारित करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षा की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो ;

(बारह) विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग तथा अन्य सहायता का उपबंध करना ;

(तेरह) फिल्म, कैसेट्स, टेप्स, वीडियों कैसेट्स तथा अन्य साफ्टवेयर सहित अनुदेशात्मक तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्रियाँ तैयार करने के लिये उपबंध करना ;

(चौदह) सेमेस्टर प्रणाली, सतत् मूल्यांकन तथा पसन्द आधारित क्रेडिट प्रणाली हेतु उपबन्ध करना और क्रेडिट अंतरण तथा संयुक्त उपाधि कार्यक्रमों हेतु अन्य विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करना ;

(पन्द्रह) अध्यापकों का मूल्यांकन सहित विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक क्रियाकलापों में छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।

(ग) वित्त से सम्बन्धित शक्तियाँ एवं कृत्य :–

(एक) व्यय को विनियमित करना, वित्त व्यवस्था का प्रबन्ध करना और विश्वविद्यालय के लेखाओं का अनुरक्षण करना ;

(दो) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के उद्देश्यों के अनुरूप अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, दान तथा उपहार प्राप्त करना और कोई अनुदान प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों या निकायों के साथ कोई करार करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उसके उद्देश्यों हेतु चल तथा अचल सम्पत्तियों के अंतरण के द्वारा उपहार, दान, उपकृति या वसीयत स्वरूप उद्योगों संघों, परिसंघों से या किसी अन्य स्रोत से निधियाँ प्राप्त करना ;

(चार) फीस तथा यथा विहित अन्य प्रभार नियत करना, उनकी माँग करना तथा उन्हें प्राप्त करना ;

(पाँच) सरकारी वचनपत्र तथा अन्य वचनपत्र, विनिमय कार्य, चेक या अन्य परक्राम्य लिखत आहरित करना एवं स्वीकार करना, उन्हें बनाना तथा पृष्ठांकित करना तथा बट्टे पर देना एवं उनका परक्रामण करना ;

(छः) बंधपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों तथा आस्तियों या किसी सम्पत्ति या आस्ति पर आधारित या अवलम्बित अन्य इकरारों या प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना और ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, पर धन जुटाना एवं उधार लेना, और राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात उधार ली गयी धनराशि का प्रतिसंदाय करने हेतु धन जुटाने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान, विश्वविद्यालय की निधियों में से करना ;

(सात) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय की निधियों का विनिधान करना ;

(घ) प्रकीर्ण शक्तियाँ एवं कृत्य :–

(एक) क्रियाकलापों तथा वित्त व्यवस्था आदि से सम्बन्धित समस्त रिपोर्टों को किसी वेब पोर्टल पर सार्वजनिक रूप में अनुरक्षित करना ;

(दो) खेलो इण्डिया योजना या राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतिभा खोज तथा पहचान योजना के अधीन उपबंधित प्रक्रियाओं तथा मानकों को प्रभावी बनाना ;

(तीन) प्रत्यायन, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय स्तर के किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्राप्त किया जायेगा ; और

(चार) प्रभावी प्रबंधन योजना सहित ई–शासन प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रत्यायोजन की शक्ति

8–इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी विनियमावली के अध्यधीन विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, इस शर्त के अध्यधीन कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का अंततः उत्तरदायित्व उस अधिकारी या प्राधिकारी में निहित रहेगा जिन्हें प्रत्यायोजित किया गया हो, अपनी शक्तियों को (विनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर) आदेश द्वारा, अपने नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ;

राज्य सरकार की निरीक्षण और जाँच करने की शक्ति

9–(1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय, संस्था या केन्द्र के भवनों क्रीड़ा प्रसुविधा सम्बन्धी अवसंरचना, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय, कार्यशाला और उपस्करों का निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्यापन एवं अन्य कार्यों और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं का भी निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के प्रशासन, शैक्षणिक क्रिया–कलापों और वित्त से संबंधित किसी मामले में भी समान रीति से जाँच कराने की शक्ति होगी ;

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को अपने निरीक्षण कराने तथा कोई जाँच कराने की अपने आशय की सूचना देगी और विश्वविद्यालय को उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का हक होगा ;

(3) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण और जाँच के परिणामों के संदर्भ में अपना अभिमत विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और उस मामले में कार्यवाही किये जाने के लिये विश्वविद्यालय को परामर्श देगी ;

(4) जहां विश्वविद्यालय द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान पर कार्यवाही नहीं की जाती है, वहाँ राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दिये जाएंगे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

[1]**[10**–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) निदेशकगण ;

(चार) संकायाध्यक्ष ;

(पांच) प्रधान कोच ;

(छः) कुलसचिव ;

(सात) परीक्षा नियंत्रक ;

(आठ) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(नौ) वित्त अधिकारी ; और

(दस) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।**]**

कुलाधिपति

11–(1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वह विश्वविद्यालय के पदेन प्रधान होंगे/होंगी और जब वह उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे/करेंगी ;

(2) कोई मानद उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव, कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ;

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मागें, प्रस्तुत करे ;

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो उन्हें परिनियमों द्वारा या तदधीन प्रदान की जायें।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37, 2021 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

12–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों के मध्य से की जायेगी, जिनके नाम, उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार उपधारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा उन्हें सौंपे गये हों ; **कुलपति**

(2)(क) आवश्यक अर्हता :– कुलपति के पद पर नियुक्त व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होगा जिसका स्नातक होना आवश्यक है और जो न्यूनतम 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका/चुकी हो;

(ख) अधिमानी अर्हता :– वह ओलम्पिक खेलों या विश्वकप/विश्व चौम्पियनशिप में कोई पदक जीता/जीती हो; या

वह किसी ओलम्पिक क्रीड़ा वाले एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता हो; या

ऐसा/ऐसी व्यक्ति हो, जो क्रीड़ा क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार विजेता या खेल रत्न पुरस्कार विजेता या पद्मश्री पुरस्कार विजेता अथवा ध्यानचन्द पुरस्कार विजेता हो।

(ग) यदि ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न हो तो कुलपति ऐसा व्यक्ति होगा/होगी जो नामनिर्देशन के दिनांक को बासठ वर्ष की आयु प्राप्त न किया/की हो और जो :–

(एक) कोई प्रख्यात शिक्षाविद् हो ; या

(दो) प्रख्यात शारीरिक शिक्षाविद तथा खिलाड़ी हो ; या

(तीन) प्रख्यात राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य वाला अनुसंधानकर्ता हो और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में डाक्टरेट उपाधि धारक हो; और

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन सदस्य होंगे :–

(क) एक सदस्य, प्रख्यात खिलाड़ी व्यक्तित्व वाला होगा जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ;

(ख) एक सदस्य, राज्य के क्रीड़ा विभाग का प्रभारी सचिव होगा ;

[1]**[**(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रख्यात क्रीड़ा प्रशासक या प्रख्यात क्रीड़ा व्यक्तित्व।**]**

(4) उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार नियुक्त समिति, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट समय के भीतर और रीति से तीन व्यक्तियों का चयन करेगी, जो उपधारा (2) में उल्लिखित अर्हताएँ धारण करते हों और जिन्हें वह कुलपति के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त समझती हो, और इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नामों को, ऐसे अन्य विवरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को संस्तुत करेगी ;

(5) कुलपति तीन वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगा और अग्रतर तीन वर्ष की अवधि हेतु पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2024 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति कुलपति का पद, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् धारण नहीं करेगा/करेगी :

(6) कुलपति की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय :

(7) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से अपना पद त्याग कर सकता/सकती है और ऐसा त्यागपत्र, कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा :

(8) जब कभी कुलपति पद की अस्थायी रिक्ति होती है और उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में सुगमतापूर्वक और शीघ्रता से भरा न जा सके तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, कुलपति के पद के चालू कर्तव्यों को सम्पादित करने के लिये निदेशित कर सकता/सकती है :

(9) कोई व्यक्ति नियुक्त किये जाने या कुलपति बनाये जाने के लिये अनर्ह होगा :–

(एक) यदि वह संसद का, या किसी राज्य विधानमण्डल का, या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य हो ; या

(दो) यदि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो ; या

(तीन) यदि वह दिवालिया हो या किसी समय ऐसा निर्णीत किया गया हो या उसने अपने ऋणों के भुगतान को निलंबित रखा हो या उसने अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया होय या

(चार) यदि वह अस्वस्थ मानसिकता का/की हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो/की गयी हो ; या

(पाँच) यदि वह किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो/गयी हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त रही हो ।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

13–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलपति को, विश्वविद्यालय द्वारा अपने अनुरक्षित भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, क्रीड़ा अवसंरचनात्मक सुविधाओं, उपस्करों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं की, और अपने किसी संस्था या केन्द्र की और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या कराये गए परीक्षाओं, अध्यापन, अनुसंधान तथा अन्य कार्यों को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा उसके द्वारा निदेशित किया जाय, निरीक्षण कराने या पुनरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय के प्रशासन, शैक्षणिक क्रियाकलापों और वित्त से सम्बन्धित किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में समान रीति से जांच कराने की भी शक्ति होगी ;

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति –

(एक) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा/होगी। वहाँ विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/करेगी ;

(दो) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा/करेगी ;

(तीन) विश्वविद्यालय में अनुदेश देने तथा अनुशासन को अनुरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होगा/होगी ; और

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा/करेगी जो उसे इस अधिनियम, या विनियमों द्वारा या उसके अधीन समनुदेशित किये जायं या बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जाएं ;

(3) जहाँ कोई मामला आत्यायिक प्रकृति का हो जिसमें तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उसके व्यवहरण हेतु इस अधिनियम के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय द्वारा उसे तत्काल व्यवहृत किया जाना संभव न हो तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा वह उचित समझे और उसके द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही की सूचना तत्काल विश्वविद्यालय के उस प्राधिकरण या निकाय को दी जाएगी जिसके द्वारा सामान्य प्रक्रम में उस मामले को व्यवहृत किया गया हो :

परन्तु यह कि यदि ऐसे प्राधिकरण या निकाय का यह मत हो कि कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह उस मामले को बोर्ड को संदर्भित कर सकता है जो कि कुलपति द्वारा कृत उस कार्यवाही की या तो संपुष्टि करेगा या उसे रद्द कर सकता है या उसे ऐसी रीति में संशोधित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और तदुपरान्त, यथास्थिति, उस कार्यवाही का प्रवर्तन समाप्त माना जाएगा या ऐसे संशोधित रूप में प्रवृत्त माना जाएगा, तथापि यह कि ऐसा संशोधन या रद्दकरण कुलपति द्वारा पूर्व में की गई या आदेश द्वारा करायी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ;

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन कुलपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का मामला हो वहाँ ऐसी नियुक्ति को, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में ऐसी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिये सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुलपति के आदेश करने के दिनांक से छः माह से अनधिक समय में संपुष्ट किया जाएगा, अन्यथा ऐसी नियुक्ति कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान पर निष्प्रभावी हो जाएगी।

निदेशक

14–(1) विश्वविद्यालय के निदेशकों की नियुक्ति, कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि विहित किया जाय, की जायेगी।

(2) निदेशकगण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य क्रिया–कलापों का प्रबन्ध करने में कुलपति की सहायता करेंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जैसा कि कुलपति द्वारा उन्हें विहित किया जाय या सौंपा जाय।

(3) निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोई प्रशिक्षक/अध्यापक/प्राध्यापक/आचार्य हों या वह किसी महाविद्यालय/संस्था में विश्वविद्यालय के किसी सम्बद्ध पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु पात्र हो या ऐसा कोई प्रशिक्षक/अध्यापक/प्राध्यापक/आचार्य, हो जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (ज्येष्ठ श्रेणी)/राष्ट्रीय खेलों में कम से कम कोई पदक जीता हो और अधिमानतः ओलम्पिक क्रीड़ा शाखा में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो ।

संकायाध्यक्ष

15–(1) संकायाध्यक्षों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के संकायों में से कुलपति द्वारा सम्यक विधिक प्रकिया का अनुसरण करते हुए की जाएगी ;

(2) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अन्य क्रिया–कलापों का प्रबन्ध करने में संकायाध्यक्ष, कुलपति की और विश्वविद्यालय के निदेशक की सहायता करेंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जैसा कि उन्हें कुलपति और निदेशक द्वारा विहित किया जाय या सौंपा जाय।

(3) संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोई प्रशिक्षक/अध्यापक/प्राध्यापक/आचार्य होगा जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (ज्येष्ठ श्रेणी)/ राष्ट्रीय खेलों में कम से कम कोई पदक जीता हो और अधिमानतः किसी ओलम्पिक क्रीड़ा शाखा में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो।

प्रधान कोच

16–(1) प्रधान कोचों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कोचिंग संकायों में से कुलपति द्वारा सम्यक विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए की जायेगी ;

(2) प्रधान कोच, कुलपति और विश्वविद्यालय के निदेशक की उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय केन्द्र के शैक्षणिक और अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी मामलों का प्रबन्ध करने में सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें कुलपति तथा निदेशक द्वारा सौंपा जाय ;

(3) प्रधान कोच के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय का प्रशिक्षक/अध्यापक/प्राध्यापक/आचार्य होगा या वह किसी महाविद्यालय/संस्था में विश्वविद्यालय के किसी संबद्ध पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु पात्र होगा या वह ऐसा प्रशिक्षक/अध्यापक/प्राध्यापक/आचार्य हो, जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (ज्येष्ठ श्रेणी)/ राष्ट्रीय खेलों में कम से कम कोई पदक जीता हो और अधिमानतः किसी ओलम्पिक क्रीड़ा शाखा में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो।

कुलसचिव

17–(1)कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों पर की जाएगी जैसी विहित की जाय ;

(2) कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा, अर्थात् :–

(एक) वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और निधियों और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा ;

(दो) वह बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और अभिलेख प्रस्तुत करेगा जो कि उसके कारबार के संचालन के लिये आवश्यक हों ;

(तीन) वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(चार) वह विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा/होगी और परीक्षाएँ संचालित करायेगा/करायेगी और उसके लिये आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा/करेगी और उससे सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा/होगी :

(पाँच) वह विश्वविद्यालय की ओर से सभी दस्तावेजों को अनुप्रमाणित और निष्पादित करेगा ;

(छः) वह विश्वविद्यालय के द्वारा लाये गए या उसके विरूद्ध सभी वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचनों का सत्यापन करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में सभी आदेशिकाएं कुलसचिव को जारी की जायेंगी और उस पर तामील की जाएंगी ; और

(सात) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो इस अधिनियम, विनियमावली द्वारा या तद्धीन उसे सौंपी जायं या उसको बोर्ड या कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित की जायं।

वित्त अधिकारी

[1]**[17–क**–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों में से की जाएगी और वित्त अधिकारी की निबन्धन और शर्तें, राज्य सरकार की संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार शासित होंगी।

(2) वित्त अधिकारी, राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन होगा। तथापित, कार्य परिषद समुचित जांच करने के पश्चात् वित्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की रिपोट। या कार्यवाही की संस्तुति राज्य सरकार को करेगी।

(3) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।**]**

अन्य अधिकारी

18–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियाँ वही होंगे जो समय–समय पर विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

19–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :–

(एक) शासक बोर्ड ;

(दो) कार्य परिषद ;

(तीन) विद्या और क्रियाकलाप परिषद ;

(चार) वित्त समिति ; और

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जैसा कि विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में घोषित किये जायं।

शासक बोर्ड

20–(1) विश्वविद्यालय के शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) कुलाधिपति, जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय का एक निदेशक ;

(चार) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट चक्रानुक्रम द्वारा एक प्रधान कोच ;

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति ;

(2) कुल सचिव, बोर्ड का सचिव होगा।

बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य

21–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड, विश्वविद्यालय के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और कार्यकलापों पर नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगा और वह विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, और उसे विश्वविद्यालय की विद्या और क्रियाकलाप परिषद्, वित्त समिति और अन्य समितियों या प्राधिकरणों के कृत्यों को पुनरीक्षित करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में नीति के प्रश्न पर विनिश्चय करना, और विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा करना, और विश्वविद्यालय की अभिवृद्धि और विकास के लिये उपाय सुझाना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों को संस्थित करना ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 2021 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।

(तीन) विनियम बनाना ;

(चार) प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक बजट पर विचार करना और अनुमोदित करना एवं ऐसे लेखाओं की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना ;

(पाँच) विश्वविद्यालय की धनराशियों तथा निधियों का विनिधान करना और वित्त समिति की संस्तुतियों पर विनिश्चय करना ;

(छः) अध्ययनों, पुस्तकों, सामयिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों और अन्य साहित्य का समय–समय पर प्रकाशन या प्रकाशन का वित्त पोषण करना और उनका विक्रय करना या विक्रय की व्यवस्था करना जैसा वह उचित समझे ;

(सात) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन करना और समाप्त करना ;

(आठ) ऐसी समितियों को नियुक्त करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के सम्पादन के लिये आवश्यक हों ;

(नौ) विश्वविद्यालय के निदेशकों, संकायाध्यक्षों, कुलसचिव, प्रधान कोचों या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन करना ; और

(दस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या तद्धीन उसे प्रदान किये जायँ या उस पर आरोपित किये जायँ, और ऐसी अन्य शक्तियाँ जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हों।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि

22–(1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन), (चार) व (पाँच) के अधीन नामनिर्दिष्ट बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि उनके नामनिर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष होगी ;

(2) धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन), (चार) और (पाँच) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, लिखित में अपने हस्ताक्षर से अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपना पद त्याग कर सकता है और उसका त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।

कार्य परिषद

23–(1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी ;

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों में विहित किये जायें।

विद्या और क्रियाकलाप परिषद

24–(1) विश्वविद्यालय के विद्या और क्रियाकलाप परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्रू–

(एक) कुलपति, जो विद्या और क्रियाकलाप परिषद् का अध्यक्ष होगा ;

(दो) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो शिक्षाविद् या वृत्तिक ;

(तीन) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा–विज्ञान के क्षेत्र में दो शिक्षाविद् या वृत्तिक, जो ओलम्पिक अथवा विश्व चैम्पियनशिप में विशिष्ट उपाधि प्राप्त किये हों ;

(चार) विश्वविद्यालय के निदेशकगण ;

(पाँच) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विश्वविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष ;

(छः) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रधान कोच ; और

(सात) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय का एक आचार्य।

(2) कुलसचिव, विद्या और क्रियाकलाप परिषद् का सचिव होगा ;

(3) उपधारा (1) के खण्ड (दो), (तीन), (पाँच), (छः) और (सात) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

विद्या और क्रियाकलाप परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य

25–इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन विद्या और क्रियाकलाप परिषद्, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:–

(एक) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण रखना और विश्वविद्यालय में अनुदेश, शिक्षा, और मूल्यांकन के मानको को अनुरक्षित रखने तथा उन्हें विकसित करने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(दो) सामान्य शैक्षणिक हितों के मामलों पर या तो स्वप्रेरण से या विश्वविद्यालय के संकाय या बोर्ड से किसी संदर्भ पर विचार करना और उस पर समुचित कार्यवाही करना ;

(तीन) छात्रों के मध्य अनुशासन सहित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में, बोर्ड को ऐसे विनियमों की संस्तुति करना जो इस अधिनियम से संगत हों ; और

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जो विनियमों के द्वारा उसे प्रदत्त किये जायं या अधिरोपित किये जायं।

वित्त समिति

26–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(दो) बोर्ड के दो सदस्य (जिनमें से एक बोर्ड का सरकारी नामनिर्देशिती होगा) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(तीन) निदेशक (वित्त) ;

(चार) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वित्त के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ;

(पाँच) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला चक्रानुक्रम से एक आचार्य ;

(छः) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला चक्रानुक्रम से एक प्रधान कोच।

(2) कुल सचिव, समिति का सचिव होगा ;

(3) खण्ड (दो), (चार), (पाँच) और (छः) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

वित्त समिति की शक्तियाँ और कृत्य

27–इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, वित्त समिति, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :–

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उस पर बोर्ड का परामर्श देना ;

(दो) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय–समय पर पुनरीक्षण करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण वित्तीय नीति के मामलों में बोर्ड को संस्तुतियाँ देना ;

(चार) निधियों में वृद्धि करने, प्राप्तियों और व्ययों सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को संस्तुतियाँ देना ;

(पांच) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त उपबन्धित करना ;

(छः) ऐसे व्ययों, जिनके लिये बजट में कोई उपबन्ध न किया गया हो या जिनमें बजट में उपबन्धित धनराशि की अधिकता में व्यय को उपगत किये जाने की आवश्यकता सम्मिलित हो, सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को संस्तुतियाँ देना ;

(सात) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उच्चीकरण और ऐसे मदों, जो बजट में सम्मिलित न हों, से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों का, बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व परीक्षण करना : और

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त किये गए हों या अधिरोपित किये गए हों।

अध्याय—चार

सम्बद्धता

28—(1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे किसी महाविद्यालय को ग्रहण कर सकता है, जो सम्बद्धता की यथाविहित शर्तों को पूरा करता हो : **सम्बद्धता**

परन्तु यह कि जब तक किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की समस्त विहित शर्तों को पूर्ण नहीं कर लिया जाता है तब तक ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम, जिसके लिए पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, के प्रथम वर्ष में किसी छात्र को ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात् प्रवेश नहीं देगा।

(2) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये आवेदन करने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था को महाविद्यालय के आरम्भ होने के प्रस्तावित दिनांक से छः माह पूर्व, कुलसचिव को विहित प्रपत्र में ई—हस्ताक्षर सहित आनलाईन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करना होगा ;

(3) सम्बद्धता के लिये आवेदन करने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था को ऐसी फीस और प्रतिभूति के साथ ऐसी रीति से ऐसे प्रपत्र में आनलाईन आवेदन करना होगा और ऐसे सन्नियमों तथा मानदण्डों को पूरा करना होगा जैसा कि विहित किया जाय ;

(4) महाविद्यालय/संस्था के पास शाखा से सम्बंधित विनियामक निकायों द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अध्यापन संकाय होना चाहिए ;

(5) इसके अतिरिक्त महाविद्यालयध्संस्था के पास इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित सहयुक्त क्रियाकलाप वाले स्कूल/कालेजों के साथ पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिये एक औपचारिक करार होना चाहिये ;

(6) उपधारा (2) के अधीन किये गये आवेदन—पत्र की प्राप्ति पर, बोर्ड, विद्या परिषद् के परामर्श से और महाविद्यालय या संस्था को अपनी स्थिति बताने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या महाविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा उपबंधित किये जाने हेतु आशयित शिक्षा के प्रकार, पड़ोस में स्थित अन्य महाविद्यालयों द्वारा किये गये उसी प्रकार के शिक्षा के विद्यमान उपबंध और महाविद्यालय स्थापित किये जाने वाले स्थान को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता की पूर्ति करेगा, और अधिनियम तथा विनियमावली के उपबंधों का अनुपालन करेगा और अपना मत अभिलिखित करेगा कि क्या सम्बद्धता पूर्णतः या आंशिक रूप में प्रदान की जानी चाहिए अथवा अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए, और वह महाविद्यालय या संस्था को अपने विनिर्णय से आनलाइन संसूचित करेगा। अल्प कमियाँ होने की स्थिति में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने से पूर्व एक अनुपालन समयावधि निर्धारित की जा सकती है। ऐसा कोई पाठ्यक्रम तब तक प्रारम्भ नहीं होगा जब तक कि समस्त शर्तें पूरी नहीं कर ली जायेंगी ;

(7) जहाँ सम्बद्धता या उसके किसी आंशिक भाग के लिए कोई आवेदन–पत्र स्वीकृत किया जायेगा वहाँ बोर्ड के आदेश से ऐसे अनुदेश पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट होंगे जिनसे महाविद्यालय सम्बद्ध हो और जहाँ आवेदन या उसका कोई आंशिक भाग अस्वीकृत हो जायेगा वहाँ ऐसी अस्वीकृति के आधार अभिलिखित किये जायेंगे और महाविद्यालय या संस्था को 30 दिन के भीतर आनलाईन संसूचित किये जायेंगे ;

(8) उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय से असन्तुष्ट कोई महाविद्यालय या संस्था, ऐसे विनिश्चय या आदेश को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकती है और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(9) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के साथ या विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए व्यवस्था करना विधिसम्मत होगा ;

(10) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, महाविद्यालय के क्रिया–कलापों का प्रबन्ध करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिये स्वतंत्र होगा और उसके अनुरक्षण तथा रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य, अपने छात्रों के अनुशासन के लिए और अपने कर्मचारिवृंद के अधीक्षण और उन पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(11) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विहित प्रपत्रों के आधार पर ऐसे स्वप्रमाणित रिपोर्ट, विवरणियाँ और अन्य विशिष्टियाँ आनलाईन प्रस्तुत करेगा जिनका निरीक्षण और सत्यापन कुलपति द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा या दृच्छिक आधार पर किया जा सकता है ;

(12) कार्य परिषद, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण समय–समय पर दो वर्ष से अनधिक के अन्तरालों पर इस निमित्त प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों से करवा सकती है और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को प्रस्तुत की जाएगी ;

(13) कार्य परिषद, इस प्रकार निरीक्षण किये गये किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी कार्यवाही, जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के लिए निदेश दे सकती है ;

(14) उपधारा (11) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में विफल रहने वाले किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के विशेषाधिकार, महाविद्यालय के प्रबन्ध–तंत्र से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद द्वारा प्रत्याहृत किये जा सकते हैं या उनमें कमी की जा सकती है ;

(15) उपधारा (1) और (12) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध–तंत्र, सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में विफल हो गया हो तो राज्य सरकार, प्रबन्ध–तंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रत्याहृत कर सकती है या उनमें कमी कर सकती है ;

(16) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऐसा कोई महाविद्यालय, जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी विनिर्दिष्ट विषय में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पहले से किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता दी जा चुकी हो, ऐसा अध्ययन पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु हकदार होगा, जिसके लिए प्रवेश पहले ही दिये जा चुके हों, किन्तु वह उपधारा (1) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र को प्रवेश नहीं देगा।

सम्बद्धता का विस्तार

29–जहाँ कोई सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसे अनुदेश पाठ्यक्रमों को जोड़ना चाहता हो, जिसके सम्बन्ध में उसे सम्बद्धता प्राप्त हो वहाँ धारा 28 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्ट

30–(1) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ और अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करनी होगी जैसा कि बोर्ड, विद्या और क्रियाकलाप परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे महाविद्यालय की दक्षता को आंकने के उद्देश्य से अपेक्षा करे ;

(2) महाविद्यालय, मानक निदर्शन–पत्र के प्रारूप के अनुसार वार्षिक स्व प्रमाणीकरण करेगा और उसे अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा ;

(3) बोर्ड, ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय का समय–समय पर ऐसी निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण करायेगा, जिसमें कुलपति होगा, जो अध्यक्ष होगा और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड द्वारा परिनियमावली के अनुसार नियुक्त किये जा सकते हैं ;

(4) इस निमित्त बोर्ड के निर्देशों पर, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करना और बोर्ड को उसकी रिपोर्ट देना, निरीक्षण समिति का कर्तव्य होगा ;

(5) बोर्ड, इस प्रकार निरीक्षण किये गये महाविद्यालय से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि उसे आवश्यक प्रतीत हो।

सम्बद्धता का प्रत्याहरण

31–(1) धारा 28 के अधीन स्वीकृत सम्बद्धता के विशेषाधिकार को प्रत्याहृत या उपान्तरित किया जा सकता है, यदि कोई महाविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के किसी उपबंध को क्रियान्वित करने में विफल रहता है या अपनी सम्बद्धता की किसी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है या महाविद्यालय का संचालन ऐसी रीति से किया जाता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो ;

(2) ऐसे अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के प्रस्ताव का पहल केवल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। बोर्ड का सदस्य, जो ऐसा प्रस्ताव लाना चाहता हो, इस सम्बन्ध में एक नोटिस देगा, और उसके लाये जाने के कारणों को लिखित रूप में उल्लिखित करेगा ;

(3) ऐसे प्रस्ताव को विचार करने के लिये ग्रहण करने से पूर्व, बोर्ड सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को, इस सूचना के साथ, कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर महाविद्यालय की ओर से लिखित रूप में प्रस्तुत किये गये किसी प्रत्यावेदन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा, नोटिस की एक प्रति प्रेषित करेगा :

परन्तु यह कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि, यदि आवश्यक हो तो बोर्ड द्वारा बढ़ायी जा सकती है ;

(4) प्रत्यावेदन की प्राप्ति पर या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर, बोर्ड ऐसे प्रस्ताव की नोटिस, कथनों और प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, और बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसा निरीक्षण कराने और ऐसी अग्रतर जाँच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, के पश्चात् और विद्या तथा क्रिया–कलाप परिषद से परामर्श करने के पश्चात, एक संकल्प द्वारा उसमें अभिकथित कारणों पर, सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पूर्णतः या अंशतः प्रत्याहरण या उपांतरण करेगा और तत्सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालय को संसूचित करेगा :

परन्तु यह कि जहाँ सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के सम्बन्ध में विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद् के विचार, बोर्ड को स्वीकार्य न हों तो ऐसा संकल्प पारित करने से पूर्व वह मामले को अपनी टिप्पणी के साथ या उसके बिना, पुनः विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद को संदर्भित करेगा, और विद्या और क्रियाकलाप परिषद् उस मामले में पुनः अपने विचारों को बोर्ड को संसूचित करेगा।

सम्बद्धता के प्रत्याहरण के विरूद्ध अपील

32–कोई महाविद्यालय, जो धारा 31 के अधीन पारित सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों के पूर्णतः या अंशतः प्रत्याहरण या उपांतरण के संकल्प से व्यथित हो, संकल्प संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

किसी सम्बद्ध महाविद्यालय हेतु अनुदान का रोका जाना या घटाया जाना

33–विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद् की संस्तुति पर बोर्ड, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के, जो जाँच समिति की रिपोर्ट पर या अन्यथा रूप में सम्बद्धता की शर्तों का अनुपालन करने में बार–बार व्यतिक्रम करता हुआ पाया जाता है, अनुदान को रोके जाने या घटाये जाने की संस्तुति, राज्य सरकार को कर सकता है।

स्नातकोत्तर अध्यापन

34–समस्त स्नातकोत्तर अनुदेश, अध्यापन और प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा ऐसे विषयों में संचालित किये जाएंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हों।

अध्याय–पाँच

वित्त

विश्वविद्यालय की स्थायी विन्यास निधि

35–एक 'स्थायी विन्यास निधि' होगी जिसमें राज्य सरकार दस करोड़ रुपये का आरम्भिक अंशदान करेगी। विन्यास निधि को जुटाने की विधि और अधिशेष का विनिधान, यथा विहित रूप से किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को भुगतान

36–सरकार, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समय–समय पर ऐसी धनराशि का भुगतान, ऐसी रीति से करेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाय।

विश्वविद्यालय की निधि

37–(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे 'विश्वविद्यालय निधि' कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण ;

(दो) समस्त स्रोतों से, जिनमें सम्बद्धता फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालय की आय ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान, ऋण, उपहार, दान, उपकृतियां, वसीयतों या विन्यासों और अन्य अनुदानों, यदि कोई हो, के माध्यम से प्राप्त धनराशियाँ ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठाचार्य पदों, अध्येतावृत्तियों या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिए, विश्वविद्यालय और उद्योग के मध्य किये गये समझौता–ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ ; तथा

(पाँच) किसी अन्य रीति से या किन्हीं अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ ;

(2) विश्वविद्यालय की अधिशेष निधि, बोर्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जायेगी अथवा वित्त समिति की संस्तुति पर बोर्ड द्वारा इसी रीति से या इस निमित्त समय–समय पर राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार विनिधानित की जायेगी ;

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रयोग, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के लिए किया जायेगा ;

लेखा, लेखा–परीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

38–(1) विश्वविद्यालय समुचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और यथाविहित प्रपत्र में तथा रीति से एक ऐसा वार्षिक लेखा–विवरण तैयार करेगा जिसमें आय तथा व्यय–लेखा और तुलनपत्र सम्मिलित होंगे ;

(2) विश्वविद्यालय यथाविहित रूप में, अपने वित्तीय, लेखाकार्य और लेखापरीक्षा सम्बन्धी कृत्यों का निर्वहन करने में समुचित आंतरिक जाँच–पड़ताल, संतुलन एवं नियंत्रण प्रणाली अंगीकृत करेगा ;

(3) विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा अधिनियम 1984 के उपबंधों के अधीन परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा द्वारा कराई जाएगी ;

(4) विशेष लेखा–परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा किया जायेगा ;

(5) उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट लेखाओं की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और बोर्ड उसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, और विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करना होगा ;

(6) विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विवरणों से युक्त प्रतिवर्ष पिछले वर्ष के अपने क्रियाकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे पुनरीक्षण और अनुमोदन के लिये, यथा विहित दिनांक को या उससे पूर्व वार्षिक रिपोर्ट के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ;

(7) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्रति और उस पर बोर्ड का संकल्प, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

पेंशन

39–समस्त ऐसे अधिकारीगण, अध्यापकगण और अन्य कर्मचारीगण, जो विश्वविद्यालय में स्थायी प्रकृति के नियोजन में हों, राज्य सरकार की नई पेंशन योजना के सदस्य होंगे।

अध्याय–छः

अनुपूरक उपबंध

रिक्तियों के कारण कार्यों तथा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न किया जाना

40–बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन या विनियमावली द्वारा गठित किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ, विश्वविद्यालय के ऐसे बोर्ड, प्राधिकरण या समिति के गठन में मात्र कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियाँ, डिप्लोमा प्रदत्त किया जाना और प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना

41–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के पास बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित उपाधियाँ, डिप्लोमा प्रदत्त करने और प्रमाण–पत्र प्रदान करने तथा मानद उपाधियाँ और अन्य विशिष्ट उपाधियां एवं अभिधान (टाईटल) प्रदत्त करने की शक्तियाँ होंगी।

विवरिणी और सूचनाएं

42–विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों को, अपनी संपत्तियों या क्रिया कलापों के सम्बन्ध में ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ, विवरण और अन्य सूचनाएं समय–समय पर उनके द्वारा यथा अपेक्षित अवधि में प्रस्तुत करेगा और उन्हें अपनी वेबसाईट तथा अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना

43–विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसा कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय द्वारा एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये या विश्वविद्यालय के विनिर्दिष्ट कार्य के लिये नियुक्त हो या जो विश्वविद्यालय निधि से कराये गए किसी कार्य के लिये भत्तों या फीस के माध्यम से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता हो, ऐसी नियुक्ति या कार्य से सम्बन्धित कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करते समय विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी समझा जायेगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारि वर्ग की सेवाओं से पदच्युति, हटाया जाना, अवनति या सेवा समाप्ति

44–(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति, लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जिसे विश्वविद्यालय के पास रखा जायेगा और जिसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाएगी ;

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के मध्य संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें कार्य परिषद द्वारा नियुक्त एक सदस्य होगा, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ होगा ;

(3) अधिकरण का विनिश्चिय अन्तिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चिय किये गये मामलों में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा :

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपभोग करने से कोई कर्मचारी निवारित नहीं होगा ;

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 26 सन् 1996) के अर्थान्तर्गत इस धारा की शर्तों के आधार पर माध्यस्थम् माना गया समझा जायेगा ;

(5) विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी या अध्यापन सदस्य, अध्यापनेत्तर तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को ऐसी जाँच, जिसमें उसे उसके विरूद्ध आरोपों को सूचित किया गया हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, के बिना पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा या पंक्ति में अवनत नहीं किया जाएगा ;

(6) उपधारा (1) के अधीन पदच्युति, हटाये जाने या पंक्ति में अवनति किये जाने या सेवा समाप्ति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश को संसूचित किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर कुलपति को की जाएगी और ऐसी अपील में कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

45–राज्य सरकार के पास समय–समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्तियाँ होंगी जैसा कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गए विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये अपेक्षित हो और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

परिनियमावली, कैसे बनायी जाय

46–(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली, कार्यपरिषद द्वारा बनायी जायेगी और वह अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) कार्यपरिषद, समय–समय पर नयी या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिनियमावली में संशोधन या निरसन कर सकती है :

परन्तु यह कि कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाली किसी परिनियमावली में संशोधन या निरसन तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध

में लिखित रूप में राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा ;

(3) प्रत्येक नयी परिनियमावली या परिनियमावली में संशोधन या विद्यमान परिनियमावली में निरसन हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा और जब तक इस प्रकार अनुमोदन न किया जाय तब तक वह अविधिमान्य होगा ;

(4) पूर्वगामी उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट नयी या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या परिनियमावली में संशोधन या निरसन कर सकती है :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, ऐसे दिनांक से या उक्त अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर ऐसी विस्तृत परिनियमावली बना सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे। ऐसी कोई विस्तृत परिनियमावली विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ;

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी मामले में परिनियमावली में उपबन्ध करने हेतु विश्वविद्यालय को निदेश दे सकती है और यदि कार्य परिषद् निदेश प्राप्त किये जाने के साठ दिन के भीतर ऐसा निदेश क्रियान्वित करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार उसके द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने की असमर्थता के लिये उपयुक्त परिनियमावली बना सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

47—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड के पास, उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के प्रशासन और प्रबन्धन का उपबन्ध करने के लिये अध्यादेश बनाने की शक्ति होगी ;

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :—

(एक) बोर्ड की प्रथम बैठक से भिन्न विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठको को आहूत करना, आयोजित करना एवं ऐसी बैठकों की गणपूर्ति और कारोबार का संचालन ;

(दो) कुलपति की ऐसी अन्य शक्तियाँ और कृत्य ;

(तीन) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, निकायों और अन्य समितियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य, ऐसे प्राधिकरणों की सदस्यता के लिये अर्हताएं और अनर्हताएं, सदस्यता की पदावधि, उसके सदस्य की नियुक्ति और हटाया जाना और उससे सम्बन्धित अन्य मामले ;

(चार) कारबार का संचालन करने, शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने में इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन या विनियमावली द्वारा गठित बोर्ड और किसी समिति या अन्य निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(पाँच) अध्ययन पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या को स्थापित करने में और छात्रों के प्रवेश के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मानदंड ;

(छः) विश्वविद्यालय में अनुशासन प्रवर्तित करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(सात) विश्वविद्यालय की संपत्तियों का प्रबन्धन ;

(आठ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियाँ और अभिधान, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान किये जा सकते है, और ऐसी किन्हीं उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण–पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियों और अभिधानों तथा उनकी अपेक्षाओं का प्रत्याहरण या निरस्तीकरण ;

(नौ) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षकों की नियुक्ति और पदावधि सम्मिलित है ;

(दस) विश्वविद्यालय के निदेशकों, आचार्यों, सह–आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्रधान कोचों, कोचों, प्रशिक्षकों या समान शैक्षणिक पदनामों या पदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की उनकी अपेक्षित अर्हताओं सहित नियुक्ति ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय को, उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण, सुविधाओं और उसके द्वारा उपबन्धित सेवाओं के लिये, भुगतान की जाने वाली फीस और अन्य प्रभार ;

(बारह) अन्य संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय के सहयोजन के लिये निबन्धन और शर्तें ;

(तेरह) बजट अनुमान तैयार करना और लेखाओं का अनुरक्षण करना ;

(चौदह) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदा या करारों के निष्पादन की रीति ;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ;

(सोलह) विश्वविद्यालय के निदेशकों, प्रधान कोचों, अन्य अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें, नियुक्ति की अवधि, वेतन, भत्ते, संविदाजन्य सेवाएं, अनुशासन नियम और अन्य सेवा शर्तें ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाली निबन्धन एवं शर्तें ;

(अट्ठारह) विश्वविद्यालय के निदेशकों, प्रधान कोचों, अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और उनके कर्तव्य ;

(उन्नीस) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों और पुरस्कारों को शासित करने वाली निबन्धन और शर्तें ;

(बीस) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ;

(इक्कीस) छात्रों के लिये छात्रावासों, संकायों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये आवासीय हालों और आवास और अतिथि गृह जिसमें अनुशासनिक नियंत्रण हो, से सम्बन्धित मामले ;

(बाईस) ऐसे समस्त मामले, जो इस अधिनियम द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से विहित किये जाने हैं या विहित किये जा सकते हैं।

विनियमावली

48–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के अनुरूप, अपने कारबार और ऐसी समितियों, यदि कोई हों, जो उनके द्वारा स्थापित की गयी हो और इस अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित न हों, के कारबार के संचालन हेतु विनियमावली बना सकते है।

अध्याय–सात
अस्थायी उपबन्ध

प्रथम कुलपति की नियुक्ति

[1]**[49**–धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष के लिए तथा संतोषजनक सेवा पाये जाने पर जिसे दो वर्ष तक विस्तारित भी किया जा सकेगा, राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, की जायेगी।**]**

प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति

50–धारा 17 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति, अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए, राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबन्धन और शर्तों पर की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे।

कुलपति की अस्थाई शक्तियाँ

51–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलपति, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है, और इस प्रयोजनार्थ वह ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी कर्तव्य का निष्पादन, जिसका विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम और विनियमावली द्वारा या तद्धीन प्रयोग या निष्पादन किया जाना हो, तब तक कर सकता है जब तक इस अधिनियम तथा विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार ऐसा प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

52–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी विनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय, कुलपति, अध्यक्ष, निदेशकों, प्राधिकारियों या अधिकारियों या कर्मचारियों या विश्वविद्यालय के किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होंगी और उनसे किसी क्षति का दावा नहीं किया जायेगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति

53–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जैसा कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ;

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, इसे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2024 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में क्रीड़ाओं के विकास की प्रचुर संभाव्यता है। क्रीड़ाओं में विशेष रुचि और अभिरुचि रखने वाले छात्रों और इसे भविष्य में व्यावसायिक वृत्ति के रूप में अंगीकृत करना चाहने वाले लोगों के लिए राज्य में न केवल क्रीड़ा संस्कृति और क्रीड़ा क्रियाकलापों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है बल्कि क्रीड़ाओं के व्यवसाय के रूप में चयन करने का विकल्प प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता होती है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्रीड़ाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों और उनसे सम्बन्धित शाखाओं में व्यावहारिक आधारभूत शिक्षा का उपबंध करके क्रीड़ाओं में उत्कृष्टता विकसित करने और उत्तर प्रदेश में राजकीय शिल्प क्रीड़ाओं सम्बन्धी अवसंरचना तथा सुविधाओं की स्थापना करके उदीयमान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य में एक अध्यापन और सम्बद्धताकारी क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है, इससे प्रतियोगितात्मक स्पर्धाओं में पदक जीतने हेतु खिलाड़ियों के कौशल और उनके भौतिक अभिरुचि के विकास का संवर्द्धन होगा और क्रीड़ा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के सृजन में भी सहायता प्राप्त होगी।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।